भारत सरकार

गृह मंत्रालय

लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्या 225*

दिनांक 10.05.2016/20 वैशाख, 1938 (शक) को उत्तर के लिए

राजभाषा को बढ़ावा देना

***225. श्रीमती नीलम सोनकरः**

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सभी मंत्रालयों , विभागों, सरकारी उपक्रमों, बैंकों इत्यादि को उनके संबंधित विभागों में राजभाषा हिन्दी का प्रयोग करने के लिए अनुदेश/दिशानिर्देश जारी किए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार को कुछ सरकारी उपक्रमों और बैंकों द्वारा हिन्दी में प्राप्त पत्रों का अंग्रेजी में उत्तर दिए जाने और केवल अंग्रेजी में ही प्रेस विज्ञप्ति जारी किए जाने के संबंध में शिकायतें प्राप्त हुई हैं, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है; और

(ग) उक्त अनुदेशों/दिशानिर्देशों के अनुपालन को सुनिश्चित करने और सरकारी कार्यालयों और सरकारी उपक्रमों में हिन्दी भाषा के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए भी सरकार द्वारा क्या अन्य उपाय किए गए हैं?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री किरेन रिजिजू)

(क) से (ग): एक विवरण सदन के पटल रख दिया गया है।

श्रीमती नीलम सोनकर द्वारा 'राजभाषा को बढ़ावा देना' के संबंध में दिनांक 10.05.2016 को पूछे गए लोक सभा तारांकित प्रश्न सं0 *225 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में उल्लिखित विवरण

(क) जी, हां। राजभाषा विभाग द्वारा प्रति वर्ष एक वार्षिक कार्यक्रम जारी किया जाता है जिसमें केंद्र सरकार के मंत्रालयों, विभागों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, बैंकों आदि में राजभाषा हिंदी में काम करने के लिए लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं।

(ख) जी, हां। राजभाषा विभाग में केंद्रीय सरकार के संगठनों द्वारा हिंदी में प्राप्त पत्रों के उत्तर अंग्रेजी में देने संबंधी यदा-कदा कुछ शिकायतें प्राप्त होती हैं। प्राप्त आंकड़ो के अनुसार हिंदी में प्राप्त 99.4% पत्रों के उत्तर हिर्दी में ही दिए गए हैं। इस प्रकार उल्लंघन के मामले लगभग नगण्य हैं। इसी प्रकार केवल अंग्रेजी में ही प्रेस विज्ञप्ति जारी करने संबंधी कुछ शिकायतें विभाग में प्राप्त हुई हैं।

तथापि जिन कार्यालयों द्वारा हिंदी में प्राप्त पत्रों के उत्तर अंग्रेजी में दिए गए हैं या प्रेस विज्ञप्ति अंग्रेजी में ही जारी की गई है, ऐसी शिकायतों को शिकायतकर्ता द्वारा भेजे गए साक्ष्यों के साथ संबंधित संगठन के प्रशासनिक प्रधान को उन पर नियमानुसार कार्रवाई करने के लिए भेज दिया जाता है। इस विषय पर विभाग द्वारा गठित विभिन्न समितियों की बैठकों में भी समीक्षा की जाती है।

(ग) सरकार द्वारा सरकारी कार्यालयों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में हिंदी भाषा के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित उपाय किए गए हैं :-

(i) प्रत्येक तिमाही के अंत में राजभाषा हिंदी के प्रगामी प्रयोग से संबंधित तिमाही प्रगति रिपोर्टें मंगाई जाती हैं और उसकी समीक्षा की जाती है।

(ii) राजभाषा विभाग द्वारा प्रति वर्ष एक वार्षिक कार्यक्रम जारी किया जाता है जिसमें राजभाषा हिंदी के प्रयोग के लिए लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं ।

(iii) वार्षिक कार्यक्रम के अनुपालन में हुई उपलब्धियां वार्षिक मूल्यांकन रिपोर्ट के रूप में संसद के दोनों पटलों पर रखी जाती हैं ।

(iv) विभाग द्वारा अपने अधीनस्थ कार्यालयों केन्द्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान व केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो के माध्यम से केंद्र सरकार के कार्मिकों को हिंदी भाषा, हिंदी टंकण, हिंदी आशुलिपि, अनुवाद व कंप्यूटर पर हिंदी के प्रयोग संबंधी प्रशिक्षण दिया जाता है

(v) केंद्र सरकार के कार्यालयों आदि में राजभाषा हिंदी के प्रगामी प्रयोग की समीक्षा के लिए राजभाषा कार्यान्वयन समितियां गठित हैं ।

(vi) नगर स्तर पर केन्द्र सरकार के कार्यालयों आदि में हिंदी के प्रयोग की समीक्षा के लिए नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियां गठित की गई हैं ।

(vii) आवश्यक दिशा-निर्देश देने के लिए मंत्रालयों/विभागों में हिंदी सलाहकार समितियां गठित हैं ।

(viii) राजभाषा विभाग के आठ क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालयों में तैनात अधिकारी राजभाषायी निरीक्षण आदि करके राजभाषा नीति का अनुपालन सुनिश्चित करवाते हैं ।

(ix) सरकार की राजभाषा नीति, प्रेरणा, प्रोत्साहन और सद्भाव पर आधारित है । इसलिए हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए राजभाषा विभाग की तरफ से भारत सरकार के कार्यालयों/कर्मचारियों के लिए विभिन्न प्रोत्साहन योजनाएं लागू की गई हैं ।